प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 02.03.2026

क्रिप्टो और बिटक्वाइन में रुपया इन्वेस्ट करने पर अधिक लाभ मिलने का आपराधिक षड़यंत्र करते हुए अविनियमित निक्षेप स्कीमें चलाकर लोगों का रुपया हड़पने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद लैपटाप व 02 अदद मोबाइल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव थाना रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 आशुतोष कुमार राय मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1. संजीव कुमार कुशवाहा पुत्र स्व0 बृज किशोर कुशवाहा निवासी ग्राम बहोरवा थाना खामपार जिला देवरिया 2. अंकित श्रीवास्तव पुत्र संजय श्रीवास्तव निवासी ग्राम बन्सहिया थाना गौरी बाजार जिला देवरिया के कब्जे से 01 अदद लैपटाप व 02 अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 126/2026 धारा 318(4),111(2)(ख),61(2) बीएनएस व धारा 3/21(2) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

अभियुक्त संजीव कुमार कुशवाहा द्वारा अपने सहयोगियो के साथ मिलकर क्रिप्टों और बिटक्वाइन में रुपया इन्वेस्ट करने के नाम पर अधिक लाभ मिलने की बात बताकर लोगों को धोखे में रखकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं तथा अपने सहयोगियों के साथ आपराधिक षड़यंत्र करते हुए अविनियमित निक्षेप स्कीमें चलाकर लोगों का रुपया हड़प रहा था, वह व्यक्ति बहुत से लोगों का रुपया ले भी चुका है। अभियुक्तों द्वारा क्रिप्टों और बिटक्वाइन में रुपया इन्वेस्ट करने पर अधिक लाभ मिलने का झांसा देकर लोगों को बुलाया गया था, जिसकी सूचना पर उ0नि0 आशुतोष कुमार राय मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1. संजीव कुमार कुशवाहा व 2. अंकित श्रीवास्तव को 01 अदद लैपटाप व 02 अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

1. संजीव कुमार कुशवाहा पुत्र स्व0 बृज किशोर कुशवाहा निवासी ग्राम बहोरवा थाना खामपार जिला देवरिया

i. मु0अ0सं0 120/2022 धारा 120बी,302,34 भादवि थाना खामपार जनपद देवरिया
ii. मु0अ0सं0 234/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना खामपार जनपद देवरिया
iii. मु0अ0सं0-0126/2026 धारा 318(4),111(2)(ख),61(2) बीएनएस व 3/21(2) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधि0 2019 थाना रामगढताल गोरखपुर

2. अंकित श्रीवास्तव पुत्र संजय श्रीवास्तव निवासी ग्राम बन्सहिया थाना गौरी बाजार जिला देवरिया

i. 1.मु0अ0सं0 474/2025 धारा 318(4),319(2),363(3),338,340(2) बीएनएस थाना कैंट गोरखपुर
ii. 2.मु0अ0सं0126/26 धारा 318(4),111(2)(ख),61(2)बीएनएस व 3/21(2)अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधि0 2019 थाना रामगढ़ताल गोरखपुर

बरामदगी-

1. एक अदद लैपटाप
2. दो अदद मोबाइल

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 आशुतोष कुमार राय चौकी प्रभारी आजाद चौक थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 उपेन्द्र निर्मल थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 हृदेश कुमार सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
4. का0 बृजेश चौहान थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर